diates of Ethambutol, Rifiampicin, etc. purchased and utilised by major producers and fomulators;

(b) whether it is a fact that such instances are within the notice of his Ministry but no action has been taken;

(c) whether it is also a fact that in the absence of any investigation the people as well as the country are being cheated; and

(d) by when action against these major drug producers and formulators is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) Ministry of Finance is not considering any such proposal.

(b) to (d) Directorate of Revenue Intelligence had received a complaint that certain drugs were being sold in the open market at prices lower than that fixed by the Government. The enquiry conducted in this behalf revealed that there has been no evasion of Customs or Excise duties but primafacie, there appears to have been a caes of inflation of purchase prices to show lower profits. The matter has been referred to income tax authorities for investigation.

**Employment and promotoin to scheduled tribes in Chandigarh**

@3640-A. SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the basis of reservations the employment opportunities and promotion benefits under the Union Territory Services particularly to Chadigarh are being denied to the recognised Scheduled Tribes;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) what steps Government propose to take to formulate the Centre Services reservation policy in Chandigarh;

(d) how many vacancies reserved for Scheduled Tribes candidates in different offices are lying vacant; and

(e) what steps are being taken to fill up the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) to (e) The reservation for Scheduled Castes & Scheduled Tribes in Services is made on the basis of the instructions contained in "Brochure on Reservation for Scheduled Castes & Scheduled Tribes in Services" issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. The policy laid down therein is uniformally applicable to all Central Services as well as to all the UT Administrations. The reservation for SC & ST in Services is made after taking into account the actual proportion of population of SCs and STs in various UTs. As per the Brochure, there is no reservation for Scheduled Tribes in the UT of Chandigarh in case of recruitment made on local basis and as such, the question of denial of concessions in Services does not arise.

**दिल्ली में कुछ क्षेत्रों को साईकिल रिक्शा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना**

@@3640(ख). श्री चतुरानन मिश्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चांदनी चौक, जामा मस्जिद तथा दरियागंज क्षेत्र में भारी संख्या में साईकिल रिक्शा चलते हैं जिससे यातायात रुक जाता है और प्रात: स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों पर असर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कनाट प्लेस क्षेत्र की तरह कुछ क्षेत्रों को "रिक्शा मुक्त क्षेत्र" घोषित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की घोषणा कब तक कर दी जायेगी; और

@Previously Unstarred Question 3161, transferred from the 28th March, 1989.

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 3353, 29 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित।

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) जी हां, श्रीमान्। तथापि यह कहना गलत है कि वे इन क्षेत्रों में यातायात जाम करने के स्रोत हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी अन्य सुविधाजनक तथा सस्ते यातायात साधन के अभाव में इन क्षेत्रों में रिक्शाओं से सीमित सुविधा मिल रही है।

**तिब्बत में मार्शल लॉ के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन**

@3640ग. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में मार्शल लॉ लगाये जाने के विरुद्ध हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन किये गये थे; यदि हां, तो ये प्रदर्शन किस किस तारीख को और किस-किस स्थान पर किये गये थे; और

(ख) प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या थीं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) जी हां, श्रीमान्। विवरण निम्न प्रकार से है:-

| प्रदर्शन की तारीख | प्रदर्शन करने का स्थान |
|---|---|
| 27-2-89 | नई दिल्ली स्थित यू.एन. डी. पी. कार्यालय के बाहर |
| 6-3-89 | नई दिल्ली में चीनी दूतावास के नजदीक। |
| 10-3-89 | नई दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक |
| 12-3-89 | -तदेव- |
| 13-3-89 | नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के नजदीक |
| 14-3-89 | नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से बाहर |
| 15-3-89 | -तदेव- |
| 16-3-89 | -तदेव- |
| 17-3-89 | -तदेव- |
| 18-3-89 | नई दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक |

(ख) मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं :-

1. तिब्बत में तिब्बतियों को मानव अधिकार बहाल करना।
2. तिब्बत में तिब्बतियों पर किए जा रहे अत्याचारों को बंद करना।
3. तिब्बत को स्वतंत्र करना।
4. तिब्बत में मार्शल-लॉ समाप्त करना।
5. पाचेन लामा की मृत्यु की जांच करना।
6. दलाईलामा के पांच-सूत्री कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1959, 1961 और 1965 में पारित संकल्पों को लागू करना।
7. तिब्बती राजनैतिक कैदियों को रिहा करना।
8. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हस्तक्षेप।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3389, 29 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित।